


२७-०८-२५

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी या प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। प्रार्थी का मूल वाद अदम पेंरवी - अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अचिंत्य होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरीक तकमील होकर दाकिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर छुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुनील कुमार-चौहान)
RAS.